

एलिम्को - सहायक उत्पादन केंद्र,

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

(भारत सरकार का मिनीरल उपक्रम)

प्लॉट नं. 40 एवं 106, इंडस्ट्रीयल एरिया, रिछाई, जबलपुर - 482010

दूरभाष : 0761-2334717, फैक्स : 0761-2334724

IS/ISO 9001:2015

ईमेल: aapc_jabalpur@alimco.in, alimcoapcjabp@gmail.com वेब: www.alimco.in



REF: LT-01/AD/JBP/AX

DATED: 25/05/2019

Tender No. LT-01/AD/JBP/AX Due on 17/06/2019

विषय : निविदा संख्या:- LT-01/AD/JBP/AX के अनुसार वाहन (बोलेरो नॉन-एसी./एसी.) के अनुबंध पर संचालन हेतु निविदा प्रपत्र।

महोदय,

प्रतिष्ठित ट्रेवल ऐजेन्सी/अन्य पार्टियों द्वारा निगम की दिन प्रतिदिन की व्यवसायिक परिवहन आवश्यकताओं (वैयक्तिक / माल आदि) की पूर्ति हेतु एक डीज़ल बोलेरो वाहन के अनुबंध के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर मोहरबंद निविदायें आंमत्रित की जाती हैं:-

नियम एवं शर्तें :-

01. वाहन का पंजीकरण वर्ष 2015 या इसके बाद का होना चाहिये।
02. वाहन की मध्य एवं पिछली सीट मुड़ने योग्य (फोल्डेबल) हो जिससे कि उत्पादन संबंधित सामग्री को परिवहन किया जा सके।
03. वाहन का अनुबंध 01 वर्ष के लिए होगा, जो कि आवश्यकता पड़ने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से लागू अनुबंधित दर व नियम-शर्तों पर पुनः 01 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा।
04. निविदायें संलग्नक "क" के अनुसार तकनीकी-बिड एवं संलग्नक "ख" के अनुसार मूल्य-बिड अलग-अलग मोहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है। तकनीकी-बिड के साथ रु. 12,000/- धरोहर राशि (EMD) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "APC-ALIMCO" जबलपुर के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य है। उपरोक्त धरोहर राशि के जमा न करने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। "तकनीकी-बिड" व "मूल्य-बिड", संलग्नक "ग" में उल्लेखित निर्देशानुसार जमा करने हैं।
05. तकनीकी-बिड के खुलने के पश्चात् वाहन का भौतिक निरीक्षण निगम की कमेटी द्वारा किया जावेगा तथा उसके बाद ही सफल निविदाकर्ताओं की मूल्य बिड खोली जावेगी। वाहन के लिए पूरा विवरण एवं मासिक किराया स्पष्ट रूप से अलग संलग्नक "ख" के अनुसार "मूल्य-बिड" में लिखा होना अनिवार्य है। कमेटी द्वारा किया गया वाहन का भौतिक निरीक्षण ही मान्य होगा एवं वाहन के भौतिक निरीक्षण में असफल होने पर पार्टी द्वारा किसी प्रकार का प्रस्तुतिकरण निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगा।
06. आवश्यकतानुसार वाहन को किसी समय एवं किसी भी दिन कार्य पर बुलाया जा सकता है, वाहन अनुमानतः प्रतिमाह 1000 कि.मी. से 2000 कि.मी. की दूरी तय कर सकती है।
07. वाहन को प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्देशित समय एवं स्थान पर पहुंचना अनिवार्य होगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आधा घंटा से अधिक विलंब से कार्य स्थल पर पहुंचने की स्थिति में वाहन को पूरे दिवस के लिए अनुपस्थित करने का पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी को होगा।
08. माइलेज मीटर की प्रारंभिक रीडिंग प्रतिदिन फैक्ट्री गेट से या अन्यत्र जहाँ से निगम ड्यूटी होगी, से प्रारंभ होगी एवं उसी दिन जबलपुर नगर सीमा में अंतिम ड्यूटी जहाँ समाप्त होगी वह अंतिम रीडिंग होगी। निगम द्वारा पार्किंग स्थल तक तय की गई दूरी का कोई भी भुगतान देय नहीं होगा।
09. वाहन के अनुपस्थित होने की स्थिति में मालिक को निगम के कार्य के लिये वैकल्पिक वाहन का प्रबंध करना होगा। जिसके उपलब्ध न होने की दशा में निगम के द्वारा वाहन का वैकल्पिक प्रबंध कर लिया जावेगा, जिसके पूर्ण व्यय की राशि की कटौती अनुबंधित वाहन मालिक के मासिक बिल से की जावेगी।
10. वाहन को प्रतिदिन एक से अधिक ड्यूटी दी जा सकती हैं एवं दी गई ड्यूटी पर वाहन के न पहुंचने की स्थित में मासिक बिल से अधिकतम 01 दिन के किराये की कटौती प्रत्येक छोड़ी ड्यूटी हेतु की जा सकती हैं।
11. वाहन में होने वाली किसी भी खराबी की मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी तथा खराबी की मरम्मत निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं होगी। अपरिहार्य कारणों से अगर मरम्मत कार्य के समय में आवश्यक हो तो वाहन मालिक को दूसरे वाहन का प्रबंध करना होगा।

12. वाहन चालक एंव वाहन से संबंधित सभी संवैधानिक एंव कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
13. वाहन चालक एक लॉगबुक अपने साथ रखेगा एंव प्रत्येक ड्यूटी का सत्यापन वाहन को प्रयोग करने वाले कर्मचारी/अधिकारी से करायेगा। प्रतिमाह बिल (दो भागों में 1. वाहन का प्रतिमाह किराया का बिल एंव 2. कुल डीजल खपत का बिल, डीजल व मोबिल ऑयल का भुगतान लागू दर के आधार पर निगम द्वारा किया जायेगा किन्तु पार्टी को बिल के साथ उपरोक्त खरीदी का बिल साक्ष्य हेतु लगाना होगा) का भुगतान माह पूर्ण होने एंव सत्यापित बिल जमा करने के 15 दिनों के अंदर कर दिया जावेगा। सभी वैधानिक कर/जी.एस.टी. आदि की स्त्रोत पर कठौती पारित बिल से की जायेगी।
14. वाहन चालक के पास संपर्क हेतु मोबाइल फोन का होना अनिवार्य है।
15. सफल निविदादाता के साथ रु. 100/- मूल्य के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जावेगा।
16. अनुबंध से पूर्व निविदा मूल्य का 10% प्रतिशत प्रति वाहन की दर से जमानत राशि/सुरक्षा निधि केवल बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम जो कि “APC-ALIMCO” जबलपुर के पक्ष में देय हो, जमा करनी होगी। निविदा के साथ दी गयी धरोहर राशि (EMD) को सुरक्षा निधि (SD) में समायोजित की जा सकती है। यह सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक अनुबंध समाप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर वापिस की जावेगी जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। यदि आप अनुबंध को किसी कारणवश पूरा करने में असफल होते हैं, उस स्थिति में आपकी सुरक्षा निधि जब्त कर ली जावेगी। सुरक्षा निधि जमा न करने की दशा में इसकी कठौती निगम की क्य नीति के अनुसार मासिक बिल से की जावेगी।
17. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करके सभी प्रपत्र अखंडित रूप से “तकनीकी-बिड” के साथ संलग्न करना होगा।
18. मूल्य-बिड में मोबिल ऑयल खपत की गणना 550 कि.मी. प्रति लीटर से की जावेगी।
19. 10 घण्टे की गणना ड्यूटी प्रारंभ के समय से ड्यूटी समाप्ति समय तक की जावेगी जो कि निगम के आवश्यकतानुसार परिवर्तित भी की जा सकती है।
20. वाहन को महीने में केवल 01 दिन का अवकाश दिया जा सकता है, इसके लिए वाहन मालिक को पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी किन्तु इस अवकाश के दिन का भुगतान देय नहीं होगा।
21. बंद शनिवार, रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन भी वाहन को बुलाया जा सकता है।
22. सभी प्रकार से पूर्ण मोहरबंद निविदायें संलग्नक “ग” पर दिये निर्देशानुसार दिनांक 17.06.2019 को अपरान्ह 14.00 बजे या इसके पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा बाक्स में जमा करना होगा। विलंब से पहुँचने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 15.00 बजे निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निगम की टेंडर ओपनिंग कमेटी द्वारा संलग्नक “ग” के अनुसार तकनीकी बिड खोली जावेगी। निगम को किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
23. निगम के पास किसी भी समय बिना कारण बताए, टेंडर को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
24. दोनों पक्षों में किसी विवाद की स्थिति में निगम के इकाई प्रमुख के पास मध्यस्थता के लिए भेजा जावेगा और उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। वाहन मालिक/ ड्राइवर का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है।
25. वाहन मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा नियुक्त ड्राइवर निगम परिसर में अन्यत्र घूमता ना पाया जाए एवं वाहन पर ही उपलब्ध रहे।
26. वाहन के ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, यह वाहन मालिक को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही गाड़ी से संबंधित सभी वैध कागजात जैसे बीमा, मालिकाना हक, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, पंजीकरण प्रपत्र आदि वाहन मालिक के पास होना चाहिए।
27. निगम को 10 माह हेतु नॉन-एसी तथा 02 माह हेतु एसी वाहन की आवश्यकता होगी। एजेन्सी द्वारा भरे गये एसी व नॉन-एसी की कुल दर के आधार पर ही L-1 निविदाकर्ता की गणना की जावेगी।
28. अन्य नियम व शर्तें निगम की क्य नीति के अनुसार लागू होगी।

प्रशासन विभाग
एलिम्को-सहायक उत्पादन केन्द्र,
जबलपुर (मध्यप्रदेश)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

तकनीकी-बिड (Technical Bid)

निविदा सं. LT-01/AD/JBP/AX दिनांक 25.05.2019 के संदर्भ में, मैं अपना वाहन, दी गई शर्तों के आधार पर किराये से अनुबंधित करने को तैयार हूँ। निविदा प्रपत्र में दी गई सभी शर्तें हमें स्वीकार हैं।

1. वाहन का मॉडल (कमर्शियल टाईप) :-

2. पंजीकरण वर्ष (कमर्शियल टाईप) :-

3. पंजीकरण संख्या
(पंजीकरण प्रपत्र की प्रतिलिपि लगाएं) :-

4. फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता
(फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगाएं) :-

5. परमिट का क्षेत्र एवं वैधता
(परमिट से संबंधित प्रपत्र की प्रतिलिपि लगाएं) :-

6. बीमा की वैधता
(वैद्य बीमा की प्रतिलिपि लगाएं) :-

7. चालक के अनुज्ञापत्र/लाइसेंस
(चालक के लाइसेंस का प्रतिलिपि लगाएं) :-

8. जी.एस.टी., यदि लागू हो
(GST प्रपत्र की प्रतिलिपि लगाएं) :-

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम एवं पूरा पता :-

मोबाइल नं. :-

फैक्स नं. :-

दिनांक:

मूल्य-बिड (Price Bid)

निविदा सं. LT-01/AD/JBP/AX दिनांक 25.05.2019 के संदर्भ में, मैं अपना वाहन, दी गई शर्तों के आधार पर किराये से अनुबंधित करने को तैयार हूँ। निविदा प्रपत्र में दी गई सभी शर्तें हमें स्वीकार हैं।

विवरण	ए.सी.	नॉन ए.सी.
01. वाहन का मासिक किराया (रूपये प्रतिमाह) प्रतिदिन 10 घंटे एवं माह (30 या 31 दिन) में एक दिन के अवकाश के आधार पर (बिना ईंधन एवं मोबिल ॲयल)	रु. प्रति माह	रु. प्रति माह
02. ईंधन/डीजल (किमी प्रति लीटर) • औसत दूरी 1800 किमी प्रति माह, केवल गणना हेतु किमी प्रति लीटर किमी प्रति लीटर
03. मोबिल ॲयल (किमी प्रति लीटर) • औसत दूरी 1800 किमी प्रति माह, केवल गणना हेतु • मोबिल ॲयल प्रति लीटर दर @350.00, केवल गणना हेतु	550 किमी प्रति लीटर	550 किमी प्रति लीटर
04. निर्धारित 10 घंटों के अतिरिक्त ड्यूटी चार्ज (रु. प्रति घण्टा) • औसत 40 घंटे प्रति माह, केवल गणना हेतु	रु. प्रति घण्टा	रु. प्रति घण्टा
05. जी.एस.टी., यदि लागू हो (%) में%%

निविदादाता के हस्ताक्षर :—

निविदादाता का नाम एवं पूरा पता (पिनकोड सहित) :—

टेलीफोन नं. :—

मोबाइल नं. :—

फैक्स नं. :—

दिनांक:

निविदा जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश

01. निविदा दो भागों (भाग-1 और भाग-2) में अलग-अलग मोहरबंद लिफाफों में तकनीकी-बिड एंव मूल्य-बिड मोटे अक्षरों में इंगित करते हुए जमा करना अनिवार्य है।

02. निविदा प्रपत्रों का जमा करना निम्नानुसार होगा:-

(क) भाग-1 (तकनीकी-बिड) एक उचित माप के लिफाफे में मोटे अक्षरों में तकनीकी-बिड, निविदा सं. LT-01/AD/JBP/AX दिनांक 25.05.2019 इंगित करते हुए संलग्नक “क” के अनुसार धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में रखना है।

(ख) भाग-2 (मूल्य-बिड) एक उचित माप के लिफाफे में मोटे अक्षरों में मूल्य-बिड, निविदा सं. LT-01/AD/JBP/AX दिनांक 25.05.2019 इंगित करते हुए संलग्नक “ख” के अनुसार दूसरे पृथक मोहरबंद लिफाफे में रखना है। मूल्य-बिड में दी गई दरों में शुद्ध दर व लागू कर/सेवा कर, जो हो, का अवश्य उल्लेख करें अन्यथा उनको “शुद्ध दर” सभी कर सम्मिलित माना जावेगा।

03. उपरोक्त 2(क) एंव 2(ख) के “तकनीकी-बिड” व “मूल्य-बिड” के मोहरबंद लिफाफों को एक तीसरे मोहरबंद लिफाफों में रखकर पुनः टेंडर संख्या मोटे अक्षरों में लिखी हुई, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा करना अनिवार्य है। “तकनीकी-बिड” व “मूल्य-बिड” एक ही लिफाफे में रखने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी और उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

04. टेंडर प्रपत्र में दी गई टेंडर खुलने की तिथि **17.06.2019** समय अपराह्न **15.00** बजे केवल “तकनीकी-बिड” खोली जावेगी। “तकनीकी-बिड” एवं वाहन के भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण के आधार पर स्वीकृत निविदादाताओं की “मूल्य-बिड” किसी अन्य निर्धारित तिथि, जिसकी सूचना संबंधित निविदादाताओं को पूर्व में दी जावेगी, पर निगम की टेंडर ओपनिंग कमेटी द्वारा खोली जावेगी। “तकनीकी-बिड” व “मूल्य-बिड” के खुलने के समय केवल संबंधित निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।

प्रशासन विभाग
एलिम्को-सहायक उत्पादन केन्द्र,
जबलपुर (मध्यप्रदेश)